तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24.03.25	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली अवलोकन किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखकर जारी। अ० अधि० की पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से काम हो व तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 04/23 दायर दिनांकः 10.01.2023
जीसीएमएस नं. 2023/07

उनवान

समस्त माली समाज ग्राम चैंटोली तह. भुसावर जरियेः–
1 भजनलाल पुत्र मदन 2 हरीसिंह पुत्र कान्हा 3 शेरसिंह पुत्र लदूरया 4 भगवानसिंह पुत्र भगवत 5 हीरालाल पुत्र पांच्या जातियान माली नि. चैंटोली तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.। ––वादीगण

बनाम

1 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।
2 तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर।
3 केन्द्र प्रभारी, पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र चैंटोली तह. भुसावर।
4 द्रौपती पत्नि मैम्बरसिंह जाति गुर्जर नि. महतौली हाल सरपंच ग्राम पंचायत चैंटोली तह. भुसावर।
––प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ताः–
1 श्री राजू सैनी ––वादीगण
2 सुरेन्द्र चौधरी ––प्रति.सं. 4

निर्णय दिनांक 24.03.2025

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह वाद पत्र जनप्रतिनिधि की हैसियत से ग्राम चैंटोली के माली समाज के सार्वजनिक हितों की रक्षार्थ वादीगण की ओर से अदालत हाजा में पेश किया गया है, जिसमें वादीगण के साथ--2 ग्राम चैंटोली तह. भुसावर के माली समाज के हित निहित है।

आ.ख.नं. 695 रकबा 0.05 हैक्टे. वाके ग्राम चैंटोली तह. भुसावर में स्थित है, जिसका पुराना ख.नं. 507 रकबा 06 बिस्वा था। जो सामलात थोक माली ग्राम चैंटोली की मिल्कीयती आराजी रही है तथा वर्तमान में भी माली समाज के उक्त आराजी में थान बने हुये है और माली समाज ही उक्त आराजी का उपयोग व उपभोग शान्ति पूर्वक लेते चले आ रहे है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर माली समाज को खातेदारी अधिकार प्राप्त भी हो गये है।

उक्त आराजी ख.नं. 507 रकबा 06 बिस्वा की खातेदारी संवत 2013 लगायत 2016 की राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में सामलात थोक माली हस्व पैमाना मिल्कियत दर्ज थी और बाद में राजस्व कर्मचारियों ने सामलात थोक माली की खातेदारी को कलमजन करते हुए उक्त आराजी को मकबूजा सरकार के नाम दर्ज कर दी। जिसका वादीगण व माली समाज को कोई जानकारी नहीं होने दी। जबकि मौके पर वादीगण के पूर्वज व माली समाज के पूर्वजों के थान

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उक्त आराजी में मौके पर बने हुये है और वर्तमान में वादीगण व माली समाज के सामलात में कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। लेकिन उसके बाद में उक्त आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 पशु उपस्वास्थ्य केन्द्र चैंटोली को आवंटित कर दी गई और अब उक्त आराजी में प्रतिवादीगण पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करते हुए वादीगण व माली समाज को उक्त आराजी से बेदखल करना चाहते है। जबकि प्रतिवादीगण को वादीगण व माली समाज को उक्त आराजी से बेदखल करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

दिनांक 30.12.2022 को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उक्त आराजी की चारों ओर से पुख्ता बाउण्ड्री कराने के लिए नींव खुदाई के निशान लगवाना शुरू किया, तो वादीगण व माली समाज के लोगों ने मौके पर पहुँचकर निशानात नहीं लगाने की कहा, तो प्रतिवादी संख्या 3 ने खुलेआम धमकी दी कि यह जमीन पशु उपस्वास्थ्य केन्द्र के नाम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा कर दी गई है और हम यहाँ पशु उपस्वास्थ्य केन्द्र बनाया जावेगा। तब दिनांक 02.01.2023 को वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 2 के भुसावर स्थित कार्यालय मे संपर्क किया, तो प्रतिवादी संख्या 2 ने भी वादीगण व माली समाज के लोगों को उक्त आराजी से बेदखल करने की धमकी दी है।

वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि वर्तमान में पशु उपस्वास्थ्य केन्द्र के नाम हो रही खातेदारी को कलमजन किया जाकर माली समाज को खातेदार दर्ज किया जावें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करायी गयी। नोटिस की ताईद में दिनांक 22.05.2024 को सरपंच ग्राम सरपंच चैंटोली द्वारा उनके अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र चौधरी एड. द्वारा वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. पेश किया गया, जो सुनकर स्वीकार किया गया तथा सरपंच ग्राम पंचायत चैंटोली को पक्षकार मुकदमा संख्या 4 बनाया गया तथा उन्होंने जवाब दावा प्रस्तुत इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि वादीगण द्वारा दावा दायरी से पूर्व व दावा दायरी के बाद आदेश 1 नियम 8 जा.दी. की पालना नहीं की गई तथा आ.ख.नं. 695 रकबा 0.05 हैक्टे. वाके ग्राम चैंटोली तह. भुसावर पूर्व में सिवायचक भूमि थी, लेकिन गांव चैंटोली के वासिन्दों के पशुओं के इलाज एवं पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए पशु चिकित्सालय दिनांक 10.12.2021 को श्रीमान जिला कलैक्टर महोदय, भरतपुर द्वारा उक्त सिवायचक भूमि को उप स्वास्थ्य केन्द्र चैंटोली को निःशुल्क आवंटित किया गया और राजस्व कर्मियों द्वारा दिनांक 04.04.2022 को पैमाईश कर कब्जा उप स्वास्थ्य केन्द्र, चैंटोली को संभलाया गया तथा चारदीवारी हेतु जिला परिषद, भरतपुर से प्रशासनिक तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति विधिवत जारी की गई तथा इसी अनुक्रम में लोक हितों को ध्यान में रखते हुए इसकी चारदीवारी कराई जा रही है। अतः वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

हमने बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अध्ययन किया गया, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि सिवायचक भूमि में लोकहित हेतु जो उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर द्वारा उनके आदेश क्रमांक/राजस्व/12/2(203)2021/325 दिनांक 10.12.2021 पशु उपस्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु पशुपालन विभाग को निःशुल्क आवंटित की गई है। जो सार्वजनिक हित में है और सभी गांव वालों के उपयोग में आयेंगी।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

सर्व समाज के लोकहित को ध्यान में रखते हुए हम दावा वादीगण को स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः दावा वादीगण को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा मुरत्तिव हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)